

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 8 मार्च, 2011

संख्या: वि0स0-वि-बिल/1-47/2011.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश हक-चहारूम के संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 2) जो आज दिनांक 8 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
2011 का विधेयक संख्यांक 2

हिमाचल प्रदेश हक-चहारूम क संदाय का उत्सादन विधेयक, 2011

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलता भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन के अनुसरण में खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों को हक चहारूम के संदाय की व्यवस्था को समाप्त करने हेतु उपबन्ध करने के लिए **विधेयक।**

एण्डरसन द्वारा लिखित फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा के पैरा 61 में ग्राम समाज (खेवटदारों) और सेवकों (राखा, पटवारी और लम्बरदार) को पेड़ों के विक्रय में से हुई सकल आय के एक चौथाई भाग, जो उनमें आपस में विभक्त हो, का स्वैच्छिक अनुदान के रूप में संदाय करने का उपबन्ध रहा है;

यह भूमि में उनके स्वत्व की मान्यता के लिए संदत्त किया गया मालिकाना नहीं था अपितु यह वन संरक्षण में, उनके हित को सुरक्षित रखने और सहयोग को बनाए रखने हेतु स्वैच्छिक अनुदान था;

यह हक-चहारूम प्रणाली, हिमाचल प्रदेश के पांच वन मण्डलों अर्थात् कांगड़ा और हमीरपुर जिलों की अधिकारिता में आने वाले धर्मशाला, देहरा, पालमपुर, नूरपुर और हमीरपुर में विद्यमान रही है।

पटवारी का भाग (हिस्सा) 1948 में समाप्त कर दिया गया था जब पटवारी का पद सरकारी पद घोषित कर दिया गया था और ग्राम समाज (खेवटदारों) के भाग के संदाय को हिमाचल प्रदेश ग्राम शामिलता भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने पर 1976 में समाप्त कर दिया गया था जिसके द्वारा ग्राम शामिलता भूमि समस्त विल्लंगमों से मुक्त सरकार में निहित की गई थी;

लम्बरदारों के हक-चहारूम का संदाय, पॉलिसी विनिश्चय जारी करने के लम्बित रहने के कारण, 1976 में रोक दिया गया था किन्तु पत्र संख्या: 3-61/69-एस एफ-IV तारीख 10-07-1981 के दृष्टिगत किसी गलतफहमी के कारण वन बन्दोबस्त के अनुसार राखे आज तक अपना भाग (हिस्सा) प्राप्त कर रहे हैं, किन्तु इस भाग को समाप्त किया जाना भी अपेक्षित है, क्योंकि वे वन संरक्षण/सुरक्षा के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं;

अतः खेवटदारों और लम्बरदारों के भाग को भूतलक्षी रूप से वर्ष 1974-75 से रोकने/समाप्त कर देने का विनिश्चय किया गया है क्योंकि वे वन संरक्षण में कोई सहायता नहीं कर रहे हैं।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हक—चहारुम के संदाय का उत्सादन अधिनियम, 2011 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 1974 से प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इसका विस्तार हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा जिलों पर होगा।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “हक—चहारुम” से कांगड़ा फॉरेस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ एंडरसन (1887) के पैरा 61 में यथा उपदर्शित पेड़ों के विक्रय से प्राप्त स्वत्वधारियों अर्थात् खेवटदारों और ग्राम सेवकों अर्थात् लम्बरदारों, पटवारियों और राखों में विभाजित की जाने वाली सकल आय का एक चौथाई भाग (हिस्सा) अभिप्रेत है; और

(ख) “खेवटदार”, “लम्बरदार” और “राखा” शब्दों का वही अर्थ और अभिव्यक्ति होगी, जो कांगड़ा घाटी की वन बन्दोबस्त रिपोर्ट में उनकी है।

3. **हक—चहारुम प्रणाली का उत्सादन.**—हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के अधीन राज्य सरकार में शामलात भूमि के विनिधान से खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों का वन संरक्षण में कोई योगदान नहीं रहा है और वे वन संरक्षण के कार्यों और बाध्यताओं से मुक्त हैं। हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के अधीन शामलात भूमि के राज्य सरकार में निहित होने के पश्चात्, खेवटदार, लम्बरदार और राखे, वन संरक्षण के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं तथा फॉरेस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा वैली के पैरा 61 के अनुसरण में हक—चहारुम के किसी भी प्रकार के संदाय के लिए वे हकदार नहीं होंगे।

4. **राखों, लम्बरदारों और खेवटदारों के अधिकारों का सरकार में निहित होना.**—(1) हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने से पूर्व, वनों के संरक्षण और प्रबन्धन की बाबत खेवटदारों, लम्बरदारों और राखों के समस्त अधिकार, हक और हित सरकार में, समस्त विल्लंगमों से मुक्त, निहित होंगे।

(2) राखों को हक—चहारुम के संदाय की प्रणाली प्रथम अप्रैल, 2010 से उत्सादित (समाप्त) हो जाएगी और वे उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और बाध्यताओं से भार मुक्त हो जाएंगे तथा इस निमित्त उनका कोई दायित्व नहीं होगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी रिपोर्ट या संविदा, किसी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, खेवटदार और लम्बरदार प्रथम अप्रैल, 1974 से हक—चहारुम के संदाय के हकदार नहीं होंगे, और वे उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों और बाध्यताओं से भारमुक्त हो जाएंगे और इस निमित्त उनका कोई दायित्व नहीं होगा।

5. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.**—इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

एंडरसन द्वारा लिखित फॉरेस्ट सैटलमैन्ट रिपोर्ट ऑफ कांगड़ा के पैरा 61 के उपबन्धों के अनुसार ग्राम समाज (खेवटदारों) और सेवकों (राखा, पटवारी, लम्बरदार) को पेड़ों के विक्रय से सकल आय का एक चौथाई

भाग (हिस्सा) प्राप्त होता था, जो उनमें विभाजित होता था। यह भूमि में उनके स्वत्व की मान्यता देने के लिए संदत्त किया गया मालिकाना नहीं था, अपितु यह वन संरक्षण में उनके हित सुरक्षित रखने और सहयोग को बनाए रखने हेतु स्वैच्छिक अनुदान था। यह हक-चहारुम प्रणाली कांगड़ा और हमीरपुर जिलों की अधिकारिता में आने वाले हिमाचल प्रदेश के पांच वन मण्डलों अर्थात् धर्मशाला, देहरा, पालमपुर, नूरपुर और हमीरपुर में विद्यमान थी।

पटवारी का भाग (हिस्सा) 1948 में समाप्त कर दिया गया था, जब पटवारी का पद सरकारी पद घोषित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त ग्राम समाज (खेवटदारों) के भाग के संदाय को हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 11-21/71 (राजस्व-बी) तारीख 1-12-1976 द्वारा हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि (निधान और उपयोग) अधिनियम, 1974 के प्रवर्तन में आने पर समाप्त कर दिया गया था जिसके द्वारा ग्राम शामलात भूमि सरकार में निहित हुई थी। लम्बरदारों के हक-चहारुम के संदाय को, पॉलिसी विनिश्चय जारी करने के लम्बित रहने के कारण, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 11-21/71 (राजस्व-बी), तारीख 1-12-1976 द्वारा रोकने का विनिश्चय किया गया था, किन्तु पत्र संख्या: 3-61/69-एस एफ-IV, तारीख 10-07-1981 के दृष्टिगत किसी गलतफहमी के कारण, वन-बन्दोबस्त के अनुसार राखे आज दिन तक अपना भाग (हिस्सा) प्राप्त करते रहे हैं, किन्तु इस भाग को समाप्त किया जाना भी अपेक्षित है, क्योंकि वे वन संरक्षण या सुरक्षा के लिए या वन विभाग के लिए कोई सेवा नहीं दे रहे हैं। खेवटदारों और लम्बरदारों के भाग को प्रथम अप्रैल, 1974 से, भूतलक्षी रूप से, समाप्त किया जाना अपेक्षित है। इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि एक विधान लाया जाए जो प्रथम अप्रैल, 1974 से भूतलक्षी रूप से हक-चहारुम से संदाय की प्रणाली को समाप्त करने का उपबन्ध करता हो।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमला :
तारीख.....2011

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

Bill No. 2 of 2011

**THE HIMACHAL PRADESH ABOLITION OF PAYMENT OF HAQ-CHUHARAM
BILL, 2011**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

BILL

to provide for abolition of provision for payment of Haq-Chuharam to Khewatdars, Lambardars and Rakhas pursuant to the enforcement of the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974.

Whereas, under para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra, written by Anderson, the village community (Khewatdars) and servants (Rakha, Patwari and Lambardar) has got the provision of payment of one-fourth share of the gross income from the sale of trees as voluntary grant, to be divided among them;

And Whereas, this was not a malikana, paid in recognition of their proprietary rights in the soil, but was a voluntary grant made to secure their interest and co-operation in Forest Conservancy;

And Whereas, this Haq-Chuharam system existed in five Forest Divisions of the Himachal Pradesh i.e. Dharamshala, Dehra, Palampur, Nurpur and Hamirpur falling under the jurisdiction of Kangra and Hamirpur Districts;

And Whereas, the share of Patwari was scrapped in 1948, when the post of Patwari was declared as Government post and payment of share of the village communities (Khewatdars) was scrapped in 1976, with the enforcement of the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, vide which village common lands were vested in the Government free from all encumbrances;

And Whereas, the payment of Haq-Chuharam to Lambardars was also stopped in 1976, pending issuance of a policy decision, but due to some misconception in view of letter No.3-61/69-SF-IV dated 10.07.1981, Rakhas continue to get their share as per Forest Settlement till date, but this share is also required to be scrapped as they are not rendering any service in Forest Conservation or protection or to the Forest Department;

Now, therefore, it has been decided to stop/abolish the share of Khewatdars and Lambardars retrospectively from the year 1974-75, because they are not rendering any assistance in forest conservancy.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of the India as follows:—

1. Short title, commencement and extent.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Abolition of Payment of Haq-Chuharam Act, 2011.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the 1st day of April, 1974.

(3) It shall extend to the Kangra and Hamirpur Districts of Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “Haq-Chuharam” means the one-fourth share of the gross income from the sale of trees as indicated in para 61 of the Kangra Forest Settlement Report of Anderson (1887), to be divided among proprietors i.e. Khewatdars and the village servants i.e. Lambardars, Patwaris and Rakhas; and

- (b) The words “Khewatdar”, “Lambardar” and “Rakha” shall have the same meaning and expression as assigned to them in the Report on Forest Settlement of the Kangra Valley.

3. Abolition of system of Haq-Chuharam.—With the vestment of shamlat lands with the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, the Khewatdars, Lambardars and Rakhas have been left with no role in forest conservancy and stand relieved of the duties and obligations towards the forest conservation. The Khewatdars, Lambardars and Rakhas are not rendering any service to forest conservation or to the Forest Department after the vestment of shamlat lands with the State Government under the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, and shall not be entitled to any payment of Haq-Chuharam in pursuance of para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra Valley.

4. Vesting of Rights of Rakhas, Lambardars and Khewatdars in the Government.—
(1) All rights, titles and interests of the Khewatdars, Lambardars and Rakhas in respect of conservancy and management of Forests, prior to the coming into force the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974, shall stand vested in the State Government free from all encumbrances.

(2) The system of payment of Haq-Chuharam to the Rakhas shall stand abolished with effect from 1st April, 2010 and they shall stand relieved of the duties and obligations attached to them and shall have no liability in this behalf.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or any report or contract, decree or order of any court, the Khewatdars and Lambardars shall not be entitled to any payment of Haq-Chuharam with effect from 1st April, 1974 and they shall stand relieved of their duties and obligations attached to them and shall have no liability in this regard.

5. Protection of action taken in good faith.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any employees of the Government, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per provisions of para 61 of the Forest Settlement Report of Kangra, written by Anderson, the village community (Khewatdars) and servants (Rakha, Patwari, Lambardar) had got 1/4th share of the gross income from the sale of the trees, to be divided among them. This was not a malikana paid in recognition of their proprietary rights in the soil, but was a voluntary grant made to secure their interest and co-operation in forest conservancy. This Haq-Chuharam system existed in five Forest Divisions of the Himachal Pradesh i.e. Dharamshala, Dehra, Palampur, Nurpur and Hamirpur falling under the jurisdiction of Kangra and Hamirpur Districts.

The share of Patwari was scrapped in 1948, when the post of Patwari was declared as Government post. Further, the payment of share of the village communities (Khewatdars) was scrapped vide letter No. 11-21/71(Rev.B) dated 01-12-1976 with the enforcement of “the Himachal Pradesh Village Common Lands (Vesting and Utilization) Act, 1974” vide which village common lands were vested in the Government. The payment of Haq-Chuharam to Lambardars was also decided to be stopped vide letter No. 11-21/71(Rev.B) dated 01-12-1976, pending issuance of a policy decision, but due to some misconception, in view of letter No.3-61/69-SF-IV dated

10.07.1981, Rakhas continue to get their share as per Forest Settlement till date, but this share is also required to be scrapped as they are not rendering any service to forest conservation or protection or to the Forest Department. The share of Khewartdars and Lambardars is required to be scrapped retrospectively from 1st April, 1974. Thus, it has been decided to bring a legislation which may provide for abolition of system of payment of Haq-Chuharam retrospectively *with effect from* 1st April, 1974.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)
Chief Minister.

SHIMLA :
The.....2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—
